

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 03/04/2026

संख्या-संचिका सं०-17/स्था०(कार्यप्रभार)-22-12/2025-6053/सा०प्र०-सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना सं०-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं०-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक-11.04.2019 से 13.10.2023 के बीच बिहार सचिवालय सेवा के निम्नांकित सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संयुक्त सचिव के विहित वेतनमान (वेतन स्तर-13) सहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन वेतनमान का वैचारिक लाभ प्रदान किया जाता है:-

क्र० सं०	पदाधिकारी का नाम	तत्कालीन कोटि	मूल कोटि की वरीयता क्रमांक (सिविल लिस्ट, 2009 के अनुसार)	वैचारिक रूप से अनुमान्यता की तिथि (सेवानिवृत्ति की तिथि)	पुनर्निर्धारित पेंशन के देयता की वास्तविक तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री बृज बिहारी सिंह,	उप सचिव	2004	31.08.2019	04.10.2025
2	श्री सुरेन्द्र कुमार,	उप सचिव	2021	31.08.2019	04.10.2025
3	श्री अरुण कुमार,	अवर सचिव	2065	31.01.2021	04.10.2025
4	श्री अनिल कुमार उपाध्याय,	अवर सचिव	2123	30.06.2022	04.10.2025
5	श्री इन्दूषण प्रसाद,	अवर सचिव	2132	31.01.2020	04.10.2025
6	श्री शिववचन सिंह,	अवर सचिव	2147	31.07.2020	04.10.2025
7	श्री प्रतुल चन्द्र सुमन,	अवर सचिव	2175	31.07.2019	04.10.2025
8	श्री सुरेन्द्र ठाकुर,	अवर सचिव	2191	31.05.2020	04.10.2025
9	मो० रसुल मियाँ,	अवर सचिव	2203	31.10.2019	04.10.2025
10	श्री राजेन्द्र राम-II,	उप सचिव	2229	31.05.2019	04.10.2025
11	श्री ललित कुमार	प्रशाखा पदाधिकारी	2319	31.12.2022	04.10.2025
12	श्री निरंजन कुमार सिन्हा,	अवर सचिव	2322	31.03.2020	04.10.2025
13	श्री सदय कुमार सिन्हा,	अवर सचिव	2359	31.03.2020	04.10.2025
14	श्री शतीश कुमार शाही,	अवर सचिव	2361	31.08.2020	04.10.2025

15	श्री सुरेन्द्र सिन्हा	प्रशाखा पदाधिकारी	2380	30.04.2021	04.10.2025
16	श्री उमेश प्रसाद रजक	अवर सचिव	2438	31.01.2020	04.10.2025
17	श्रीमती निलम कपूर,	अवर सचिव	2449	31.10.2021	04.10.2025
18	श्री कृष्ण कान्त वर्मा,	प्रशाखा पदाधिकारी	2466	31.03.2021	04.10.2025
19	श्री विवेक कुमार,	प्रशाखा पदाधिकारी	2467	31.12.2020	04.10.2025
20	श्री संजय अग्रवाल,	प्रशाखा पदाधिकारी	2471	28.02.2022	04.10.2025
21	श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	2484	31.01.2021	04.10.2025
22	ब्रजेश कुमार सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	2501	31.12.2021	04.10.2025
23	श्री सुभाष कुमार श्रीवास्तव,	प्रशाखा पदाधिकारी	2502	30.06.2022	04.10.2025
24	श्री अनिल अग्रवाल,	प्रशाखा पदाधिकारी	2507	30.09.2021	04.10.2025
25	श्री जय नाथ मिश्र,	प्रशाखा पदाधिकारी	2510	31.10.2019	04.10.2025
26	श्री अजीत कुमार दूबे,	प्रशाखा पदाधिकारी	2511	31.01.2022	04.10.2025
27	श्री अजीत कुमार,	प्रशाखा पदाधिकारी	2522	31.01.2020	04.10.2025
28	श्री रामप्रीत प्रसाद ,	प्रशाखा पदाधिकारी	2525	31.03.2020	04.10.2025
29	श्रीमती विद्या कुमारी	प्रशाखा पदाधिकारी	2526	31.10.2020	04.10.2025
30	श्री अजय कुमार,	प्रशाखा पदाधिकारी	2527	31.01.2021	04.10.2025
31	श्री शिवमुनी सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	2535	31.01.2022	04.10.2025
32	श्री शत्रुघ्न सिंह,	प्रशाखा पदाधिकारी	2543	31.01.2021	04.10.2025

2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 एवं अधिसूचना सं0-18775, दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अध्याधीन है।

3. उपर्युक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को उक्त लाभ वैचारिक रूप से अनुमान्य किया जायेगा, इसलिए इस क्रम में सेवकाल में किसी भी प्रकार का अनुमान्य बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जायेगा। इस आधार पर वेतन एवं सेवानिवृत्ति के समय वेतन का निर्धारण वैचारिक रूप से किया जाएगा। तदनुसार पेंशन का वैचारिक पुनर्निर्धारण किया जाएगा जिसका वास्तविक आर्थिक लाभ दिनांक-04.10.2025 से अनुमान्य होगा।

4. विभागीय अधिसूचना-18775, दिनांक-04.10.2025 के आलोक में उपर्युक्त बिहार सचिवालय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के अधीन

2

अनुमान्य उच्चतर पदों के वेतनमान का वैचारिक लाभ/पेंशन पुनरीक्षण संबंधी कार्य महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना के स्तर से अपेक्षित होगा।

5. ऐसे पदाधिकारीगण, जिन्हें ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0/प्रोन्नति आदि के फलस्वरूप पूर्व से ही उच्च प्रक्रम का वेतन प्राप्त हो रहा है, उनका वेतन प्रक्रम अपरिवर्तित रहेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

मां 03.04.26
(मनाज कुमार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-17/स्था0(कार्य0प्रभार)/22-12/2025 6053 /सा0प्र0, पटना-15,दिनांक-03/04/2026

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (प्रबंधक, आई0टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार, पटना/सभी संबंधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/स्थानिक आयुक्त, बिहार, भवन, नई दिल्ली/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित पदाधिकारी/प्रबंधक, आई0 टी0, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट एवं संबंधित पदाधिकारी के सेवा इतिहास पोर्टल पर अपलोड करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-15, 16 एवं 24, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

मां 03.04.26
सरकार के अवर सचिव।